उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला
(विधि शाखा)

आ दे श

म्यूटेशन रिवीजन (Mutation Revision)वाद सं0 :– 07/2019–20

बुधेश्वर मुण्डा –बनाम– अनुराग कुजूर उर्फ कृपाल अजय कुजूर वगै0

अपीलार्थी श्री बुधेश्वर मुण्डा पिता–चिंटु मुण्डा ग्राम–सरनाटोली थाना–गुमला जिला–गुमला के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के दाखिल खारिज वाद सं0–03/2014–15 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में म्यूटेशन रिवीजन दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी के Mutation Revision पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अपीलार्थी का पक्ष

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूमि मौजा गुमला के खाता सं0–44 प्लॉट सं0–1370 रकबा–1.04 एकड़ रैयती है जिसे समीर कुजूर के द्वारा जोहन उराँव से निबंधित बिक्री पट्टा सं0–691/51 दिनांक–20.04.1951 से क्रय किये थे तथा वे अपने पूरी जीवनकाल में दखलकार होकर सरकार को मालगुजारी देते रहे। उसके बाद उनके पुत्रगण मालिक हुए एवं सरकार को मालगुजारी देने लगे। जोहन उरॉव के तीन पुत्र हुए जिसका वंशावली निम्नवत हैः–

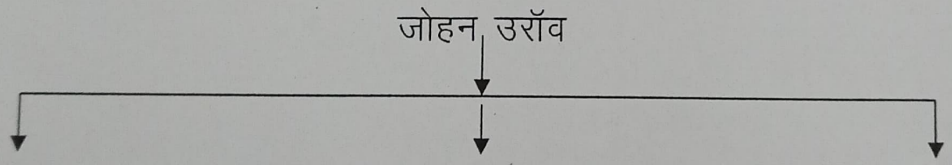

जोहन उराँव के पुत्र फ्रांसिस कुजूर को खड़गपुर पश्चिम बंगाल में जमीन का हिस्सा मिला और सिलबानुस कुजूर, जुलियस कुजूर को सकरपुर गम्हरिया और गुमला में हिस्सा मिला। यह कि अपने हिस्से का मौजा–गुमला के खाता नं0–144 प्लॉट नं0–1370 रकबा–2.08 एकड़ में से 1.04 एकड़ का दाखिल खारिज समीर कुजूर अपने नाम से कराया तत्पश्चात समीर कुजूर सक्षम पदाधिकारी से अनुमति वाद सं0–152/13–14 से अनुमति प्राप्त कर उक्त भूमि में से 0.07 एकड़ भूमि को बुधेश्वर मुण्डा को बिक्री कर दिया जिसके अनुसार बुधेश्वर मुण्डा का दाखिल खारिज भी हुआ। उत्तरवादी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के न्यायालय में समीर जेवियर कुजूर के नाम से दाखिल खारिज वाद सं0–737 आर 27/12–13 को रद्द करने हेतु सिलबानुस कुजूर ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गुमला के

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय में दाखिल किया। जिस पर न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई के अपील को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी गुमला द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए म्यूटेशन रिवीजन वाद को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी का पक्ष

उत्तरवादी का कथन है कि खाता नं0–44 प्लॉट नं0–1370 रकबा–2.08 एकड़ में से 1.08 एकड़ भूमि रैयती है। रैयती भूमि को जोहन उराँव के तीनों पुत्रों को उनके पूर्वज भूमि का विधिवत बटवारानामा दस्तावेज से दिनांक–05.09.1981 कर दिया था जिसके अनुसार फ्रांसिस कुजूर को खड़गपुर की जमीन तथा सिलबानुस कुजूर को गुमला के जमीन तथा जुलियस कुजूर को सकरपुर गम्हरिया का जमीन मिला परन्तु जुलियस कुजूर के पुत्र समीर जेबियर कुजूर बटवारा के विपरीत छल प्रपंच से मौजा गुमला के खाता सं0–44 प्लॉट सं0–1370 रकबा–2.08 एकड़ में से 1.04 एकड़ उत्तराधिकारी दाखिल खारिज करा लिया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क एवं समर्पित दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यह मामला पारिवारिक बटवारा से संबंधित है, जिसका निस्तारण सक्षम न्यायालय (Competent Court) से संभव है।

अतः नैसर्गिक न्याय के हित में इस वाद की कार्रवाई बिना गुण–दोष के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

27.06.22
उपायुक्त,
गुमला

27.06.22
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.10.13 16:45:03 +05:30
Location: 192.168.43.106

Scanned with OKEN Scanner